S.D.O. Pali

9/12/19 वकील वादी उप०।
वकील प्रतिवादी उप०।
बहस सुनी गयी। वकील वादी के दोहराते हुए विधिक वाद में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए विधिक रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया।
वकील प्रति वादी ने बहस के दौरान बताया कि वाद में जबाब पेश होने के पश्चात शहादत वादी एवं बयान होने चाहिए परन्तु वादी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की शहादत पेश नहीं की गई है तथा बयान नहीं करवाये जब वादी द्वारा शहादत बयान नहीं करवाये है तो शहादत प्रतिवादी को कराना औचित्यहीन है एवं यदि वाद में वादी एवं प्रतिवादी की शहादत गवाह बयान दर्ज नहीं हुए तो तनकीयात ही नहीं बनी है तथा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वाद में विवादबिन्दु तय नहीं होने से वाद स्वतः ही खारिज योग्य है अतः वाद खारिज फरमाया जावे। वकलाय की बहस पर मनन किया, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, के दौरान पाया कि वकील वादी द्वारा किसी प्रकार की शहादत पेश नहीं की गयी है तथा वादी की शहादत नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा शहादत पेश नहीं करना चाहा तथा शहादत वादी, प्रतिवादी नहीं होने से विवाद बिन्दु तय नहीं हो पाये ऐसी स्थिति में वाद को विचाराधीन चलाये रखने का औचित्य नहीं है। फलस्वरूप वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कमेटी सहायक कलेक्टर पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.10 17:09:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: